

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट टिब्बी)

1. बख्तावरसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
-वादी

बनान्

1. जसकौरसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
2. गुरजण्टसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
3. सुखदेवसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
-प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर-301/2018
अन्तर्गत धारा-88,53 आरटीए
निर्णय दिनांक-27.6.2018

राजस्व लोक अदालत अभियान
ग्राम पंचायत टिब्बी-2018

वादी की ओर से श्री संजय शर्मा एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.6.2018 को उम्मेदसिंह तनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के सनस अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज भूमि का निम्नानुसार बंटवारा हुआ है-

- (क)-वादी बख्तावरसिंह को प्राप्त आराजी-चक नं.8 जीजीआर प.नं.201/279 कि.नं. 8/0.126,1/2/0.063,10/2/0.095 है.
- (ख)-प्रतिवादी संख्या 1 जसकौरसिंह को प्राप्त आराजी-चक नं. 8 जीजीआर प.नं. 201/279 कि.नं.10/2/0.158 है.
- (ग)-प्रतिवादी संख्या 2 गुरजण्टसिंह को प्राप्त आराजी- चक नं. 8 जीजीआर प.नं. 201/279 कि.नं. 8/0.127, है.

पर्युक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार कार्तकार घोषित किया जाता है व खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्युक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा प्रसकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 27.6.2018 राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत टिब्बी में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

वाद के खर्चे	वादी	प्रतिवादी	रूपया
1	वादपत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3	प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस	0
4	रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	आदेशिका की तामील	0
6	कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस	0
7	आदेशिका की तामील	जोड़	0
जोड़	100/-		